सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 18, गुरूवार, शाके 1943-सितम्बर 9, 2021 *Bhadra 18, Thursday, Saka 1943- September 9, 2021*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 31, 2021

संख्या प. 35(1) गृह-9/2006पार्ट :-राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि जैसलमेर जिले से लगने वाली भारत-पाक सीमा पर पी.सी.ओ./ई-मेल/इन्टरनेट के माध्यम से आपराधिक गतिविधियों एवं अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त आपराधिक आचरण करने वाले व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय कॉल्स/संदेश का प्रयोग कर आपराधिक कृत्यों एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो सकते है जिससे जन सुरक्षा एवं शाति भंग होने का पूर्ण अंदेशा है।

राज्य सरकार को यह संतोष हो गया है कि भारत पाक पर पी.सी.ओ./ई-मेल/इन्टरनेट के माध्यम से अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम हेतु कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जैसलमेर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत जारी आदेश क्रमांक 4913 दिनांक 29.07.2021 की अवधि बढ़ाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जैसलमेर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जारी आदेश क्रमांक 4913 दिनांक 29.07.2021 की अवधि एत्दद्वारा आगामी छः माह तक बढ़ाई जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
मुकेश पारीक,
शासन उप सचिव, गृह।

9234

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।